(d) whether Government propose to modify the NDPS Act to check promotion of hard drugs?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M.V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) The NDPS Act provides for mild punishment in respect of contraventions relating to Ganja and cultivation of cannabis plant. In respect of the said contraventions, the punishment imposable is rigorous imprisonment which may extend upto 5 years and also fine which may extend upto 50 thousand rupees. In respect of trafficking of other drugs punishment imposable is a minimum of 10 years rigorous imprisonment which may extend upto 20 years and a minimum fine of Rs. 1 lakh. In respect of consumption and possession for personal consumption, the sentence imposable is as follows:—

(i) where the narcotic drug or psychotropic substance possessed or consumed is cocaine, morphine, diacetylmorphine or any other narcotic drug or any psychotropic substance as may be specified in this behalf by the Central Government, by notification in the official Gazette, with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine or with both; and

(ii) where the narcotic drug or psychotropic substance possessed or consumed is other than those specified in or under clause (i), with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine or with both;

It would be seen from the aforesaid that it is not correct to say that the NDPS Act provides the same penalty in respect of all the drugs.

(b) and (d) In view of (a) above, do not arise.

(c) Drug trafficking is a clandestine activity and therefore, it cannot be said definitely whether the profit margin in the trade of hard drugs was 300% more than in the soft drugs.

विद्युत की मांग और वास्तविक उत्पादन

114. **श्री रामजीलाल:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 दिसम्बर, 1995 की स्थिति अनुसार देश में बिजली की कितनी मांग हो गयी है और इस समय इसका कितना उत्पादन हो रहा है;

(ख) बिजली की मांग और इसके वास्तविक उत्पादन के मध्य इस अंतर को दूर करने के लिए वर्ष 1995 में कौन-कौन से उपाय किए गए और कितने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए;

(ग) अन्य परियोजनाओं के अलावा इन समझौता ज्ञापनों के परिणामस्वरूप अब तक कौन-कौन सी परियोजनाएं आरंभ की गयी हैं; और

(घ) क्या इस वर्ष के दौरान किसी ताप अथवा पन बिजली परियोजना के माध्यम से विद्युत उत्पादन का काम शुरू किया गया है; यदि हां, तो उसका राज्यवार ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला चिमनभाई पटेल): (क) अप्रैल-दिसंबर, 1995 की अवधि के दौरान देश में ऊर्जा आवश्यकता 288049 मि०यू० थी और इस अवधि के दौरान ऊर्जा उत्पादन 281597 मि०यू० था।

(ख) 18.2.1995 के पश्चात् विद्युत परियोजनाएं प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली के आधार पर निजी पार्टियों को भी सौंपी जा रही हैं। निजी क्षेत्र में विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए प्राप्त 202 प्रकट रूचियों की विद्युत मंत्रालय निरंतर मानीटरिंग कर रहा है जिनमें 66 प्रस्ताव प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली के माध्यम से प्राप्त हुए शामिल हैं।

(ग) निजी क्षेत्र में विद्युत परियोजनाओं को निजी कंपनियों द्वारा आवश्यक लिंकेज सुनिश्चित किए जाने, सांविधिक/गैर सांविधिक स्वीकृतियां प्राप्त करने और संबंधित राज्यों/रा०बि०बो० के साथ संतोषजनक करारों पर हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात् क्रियान्वित किया जाएगा।

(घ) अप्रैल, 95 से जनवरी, 96 की अवधि के दौरान क्षमता अभिवृद्धि के ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

अप्रैल, 95 से जनवरी, 96 के दौरान जोड़ी गई विद्युत उत्पादन क्षमता

क्र०सं०	जोड़ा गया यूनिट	स्वरूप	क्षमता (मे०वा०)	राज्य
1.	कारगिल	हाइडल	1.25	जम्मू एवं कश्मीर
2.	कारगिल	हाइडल	1.25	जम्मू एवं कश्मीर
3.	कारगिल	हाइडल	1.25	जम्मू एवं कश्मीर
4.	थिरोट	हाइडल	1.50	हिमाचल प्रदेश
5.	थिरोट	हाइडल	1.50	हिमाचल प्रदेश
6.	बनेर	हाइडल	0.00	हिमाचल प्रदेश
7.	बनेर	हाइडल	0.00	हिमाचल प्रदेश
8.	बनेर	हाइडल	0.00	हिमाचल प्रदेश
9.	गाज	हाइडल	0.00	हिमाचल प्रदेश
10.	गाज	हाइडल	0.00	हिमाचल प्रदेश
11.	गाज	हाइडल	0.00	हिमाचल प्रदेश
12.	रम्मम-2	हाइडल	12.50	पं० बंगाल
13.	आई०पी०डब्ल्यू०एच०	थर्मल	34.00	दिल्ली
14.	आई०पी०डब्ल्यू०एच०	थर्मल	0.00	दिल्ली
15.	ईस्ट गण्डक	हाइडल	0.00	बिहार
16.	रामगढ़ जीटी	थर्मल	35.50	राजस्थान
17.	इब घाटी	थर्मल	210.00	उड़ीसा
18.	रोखिया-3	थर्मल	8.00	त्रिपुरा
19.	रोखिया-3 जीटी	थर्मल	8.00	त्रिपुरा
20.	काठलगुड़ी जीटी	थर्मल	33.50	असम
21.	काठलगुड़ी जीटी	थर्मल	0.00	असम
22.	नार्थ मद्रास	थर्मल	0.00	तमिलनाडु
23.	ईस्ट-गण्डक	हाइडल	—	बिहार
24.	रम्मम-2	हाइडल	12.50	प० बंगाल
25.	तलचेर	थर्मल	—	उड़ीसा
26.	बेसिन ब्रिज	थर्मल	—	तमिलनाडु
27.	कठलगुड़ी	थर्मल	—	असम
28.	मेजिया	थर्मल	210.00	प० बंगाल
29.	सूर्या	हाइडल	—	महाराष्ट्र
30.	डिम्भे	हाइडल	—	महाराष्ट्र
31.	सोन इल कैनाल	हाइडल	1.65	उड़ीसा
32.	बेसिन ब्रिज जीटी	थर्मल	—	तमिलनाडु
33.	ब्रम्हपुरम डीजी	थर्मल	—	कर्नाटक
	अखिल भारत जोड़	हाइडल	33.40	
		थर्मल	539.00	
		जोड़	572.40	